FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0119 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 20/06/2024 19:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/06/2024
   Time Period (समय अवधिं): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:35 बजे
   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 20/06/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे
   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 20/06/2024 19:28:59 बजे
4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 7 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE
   (b)**Address(पता):** VANIKI PATH GATE NO.5, RAJSTHAN HIGHCOURT JAIPUR
   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**
   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIKRAM BENIWAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** HJARI SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	6, JAIKAB ROAD, CIVIL LINE JAIPUR, SODALA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	6, JAIKAB ROAD, CIVIL LINE JAIPUR, SODALA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH KUMAR SHARMA		पिता:LATE NANAGRAM SHARMA	1. 28 B,RAY COLONY,HASANPURA -C JAIPUR,SADAR JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
2	BRIJKISHOR DENWAL		पिता:KALURAM	1. 74,SHIV COLONY,SODALA JAIPUR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 18.6.2024 को परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल निवासी 6, जैकब रोड सिविल लाइन्स जयपुर ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भूपेन्द्र के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मै 6, जैकब रोड सिविल लाइन्स जयपुर पर निवास करता हूं जहां पर मुझे पानी के कनेक्शन की आवश्यकता थी जिस पर मैने संबंधित A.E.N. बृजकिशोर डेनवाल से बात की तो उसने कहा कि कनेक्शन करवा देगे पर खर्चा लगेगा मेरे पूछने पर उसने कहा कि उसके आदमी का फोन आ जाऐगा इसके बाद उसके यहां से उसके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी सुरेश का Call आया और वह मेरे घर पर बाहर आया मेरी गाडी मैं बैठकर उसने पूरा खर्चा 60,000 रू. बताया उसने कहा कि A.E.N. साहब ने कहा है कि आवेदन करने से लेकर कनेक्शन और मीटर लगाने तक का खर्चा 60000 रू. ही लगेगा। मैंने समय मांगा और उससे पैसो की व्यवस्था करने के लिऐ कहा। इसके बाद 11 जून 2024 को 1250 पीएम पर मैने सुरेश को हाईकोर्ट के 5 नम्बर गेट पर 20000 रू. और मेरे डाक्यूमेट्स दे दिऐ। 12 जून 2024 को सुरेश ने शाम को मुझे बताया कि उसने स्वयं के SSO Id से मेरे नाम से आवेदन कर दिया है और A.E.N. से बात हो गयी है वो कल Approved कर देगा। दूसरे दिन शाम को सुरेश से बात की तो उसने कहा कि A.E.N. ने Approved कर दिया है और JEN को Site Report के लिऐ भेज दी है पर अब बाकी काम 40,000 रू. देने के बाद होगा। इसी काम के चलते मेरी A.E.N. और उसके सहयोगी सुरेश से कई बार Whats Call और Regular Call पर बात हुई जिसमें हमने एक-दुसरे को कई बार Call कर बात की जिसमें लेन-देन की बात भी की थी। मैने A.E.N. और उसके सहयोगी सुरेश से पैसे कम करने की भी बात की पर उन्होने एक रूपया भी कम करने से मना कर दिया। मैने 20,000 रू. दे दिऐ और 40,000 रू. वो बकाया मांग रहे है तभी मेरे यहां पानी के कनेक्शन लगेगा ऐसा कह रहे है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि मैं इन लोगो AEN (PHED) व सहयोगी सुरेश को रंगेहाथ पकडवाना चाहता हूं इन लोगो से मेरी पहले की कोई अदावत नही है ना इस कनेक्शन के काम से पहले से मैं इनको जानता हूं। श्रीमान् जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करे। एसडी/-विक्रम बेनीवाल 6, जैकब रोड, सिविल लाइन्स जयपुर। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी।उक्त शिकायत पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई। परिवादी ने दरियाफ्त पर उक्त शिकायत स्वयं द्वारा लिखना तथा प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्य सही होना तथा आरोपी से किसी प्रकार का कोई लेन-देन तथा आपसी रंजिश नही होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल के साथ श्री बंशीधर कानि0 24 को कार्यालय सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, नगर उपखण्ड-8 (दक्षिण) जयपुर भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी सुरेश शर्मा द्वारा परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल के मकान नं. 6, जैकब रोड, सिविल लाईन्स जयपुर में पानी का कनेक्शन करने के लिए 40,000/-रूपये मांगना तथा कम करने का निवेदन करने पर 30,000 रूपये में सहमत होना पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर नगर निगम ग्रेटर जयपुर से दो स्वतन्त्र गवाह तलब किये जाने पर श्री मुरलीधर शर्मा एवं श्री विष्णु कुमार कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 18.6.2024 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के समय डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की नियमानुसार कम्प्यूटर की सहायता से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की गई। तत्पश्चात् दिनांक 19.6.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर समय करीब 11.40 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान, ट्रेप पार्टी के सदस्य सर्व श्री रामजीलाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, श्री आलोक शर्मा सहायक उप निरीक्षक, श्री राजकुमार हैड कानि. 79, बंशीधर कानि0 24, श्री लालू सैनी कानि0 418, श्री संजीव

कुमार कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व अन्य सरकारी सामान के मय सरकारी वाहन एवं परिवादी की प्राईवेट कार के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर वानिकी पथ गेट नं. 5, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पहुंचकर परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल को आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद परिस्थिति अनुसार अपने ट्रेप पार्टी को मुकरर्र ईशारा करने की परिवादी को हिदायत दी गई तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इतंजार करने लगे। इसके पश्चात् समय करीब 1.35 पीएम पर परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल ने वानिकी पथ राजस्थान हाईकोर्ट के गेट नं. 5, जयपुर से पूर्व निर्धारित ईशारा अपने कान में अंगुली डालकर रिश्वत लेन देन का नियत ईषारा किया, जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय एसीबी जाप्ता के गेट नं. 5 पर परिवादी के पास पहुंचा व डिजीटल वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल ने अपने पास खडे एक पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही सुरेश शर्मा, पीएचईडी का कर्मचारी है। जिसने मेरे मकान में पानी का कनेक्शन करने की ऐवज में अभी-अभी अपने व अपने अधिकारी एईएन के लिए मुझसे मांगने पर मैने अपने पास से 30,000/-रूपये इसको देने पर इसने अपने दांहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांहिनी जेब में रखे है। इस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0श्री नानगराम शर्मा उम्र 43 साल जाति ब्राहम्मण निवासी मकान नं. 28बी, राय कॉलौनी, हसनपुरा-सी, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड-8, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन, दक्षिण, जयपुर होना बताया। वानिकी पथ आम रास्ता है तथा हाई कोर्ट में आने जाने वाले लोगो के लिए आम रास्ता है तथा काफी भीड-भाड है तथा यहा पर कार्यवाही करने की माकूल व्यवस्था नही होने के कारण श्री सुरेश कुमार के दोनो हाथो को कलाईयों के उपर से जाप्ते से अलग-अलग पकड़वाकर वानिकी पथ से रवाना होकर पुलिस थाना अशोक नगर जयपुर (दक्षिण) जयपुर लेकर आये। इसी दौराने उक्त कार्यवाही में सहायक अभियन्ता श्री बृजकिशोर डेनवाल को डिटेन कर लाने हेतु पूर्व से ही पाबन्द किये गये पुलिस निरीक्षक श्री मूल चन्द मीणा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-चतुर्थ, जयपुर को जरिये वाट्सअप कॉल किया गया। पुलिस थाना अशोक नगर (दक्षिण) जयपुर के स्थित कम्प्यूटर कक्ष में थानाधिकारी की अनुमति लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंम्भ की गई तथा परिवादी से प्राप्त किये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर सरसरी तौर से सुना गया तो उसमें परिवादी व आरोपी सुरेश कुमार व सहायक अभियन्ता श्री बृजकिशोर डेनवाल के मध्य रिष्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई, जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके पश्चात् आरोपी श्री सुरेश कुमार शर्मा से पूछा गया कि आपने परिवादी विक्रम बेनीवाल से अभी कुछ देर पहले किस बात के रूपये लिये है। जिस पर आरोपी सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि श्री विक्रम बेनीवाल वकील साहब का कब्जेधारी मकान जो की पानी की पाईप लाईन से साढे तीन सौ फिट दूरी पर है, जिसमें सीसी रोड है। मकान में पानी का कनेक्शन करने के लिए ठेकेदार द्वारा मुख जबानी एस्टीमेट बताये अनुसार मैंने विक्रम बेनीवाल वकील साहब को पानी का कनेक्शन करने का खर्चा करीब 50-55 हजार रूपये बताया था। श्री विक्रम बेनीवाल ने करीब 4-5 दिन पहले मुझे 20,000 रूपये दिये थे तथा आज मोबाईल फोन पर वार्ता उपरान्त मैं शेष राशि श्री विक्रम बेनीवाल से उसके मकान में पानी का कनेक्शन करने की ऐवज में 30,000 रूपये अभी कुछ देर पहले लेते ही आप लोगो ने मुझे पकड लिया। इस पर मौजूद परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल ने आरोपी के स्पष्टीकरण का खण्डन करते हुए बताया कि सुरेश जी झूठ बोल रहे है। इनसे व एईएन साहब बृजकिशोर डेनवाल से बात होने पर मैने मेरे मकान में पानी का कनेक्शन करवाने के लिए दिनांक 11.6.2024 को इनके मांगने पर 20,000 रूपये व मेरे मकान में पानी के कनेक्शन हेतु कागजात/आईडी हाई कार्ट के गेट नं. 5 के बाहर दिये थे तथा सुरेश जी ने 12.6.2024 को एसएसओ आईडी से मेरे कनेक्शन का फार्म ऑन लाईन भरा था। इसके बाद सुरेश जी ने मुझसे रूबरू मिलने पर बताया था कि एईएन साहब 40,000 रूपये और मांग रहे है। एईएन साहब ने आपके डॉक्यूमेन्ट्स एपू्रड कर दिये है। इसके पश्चात् दिनांक 18.6.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान सुरेश जी ने मुझसे 40,000 रूपये मांगने पर मेरे द्वारा रिक्वेस्ट करने पर इन्होने 30,000 रूपये लेना तय किया। मेरे मकान में पानी का कनेक्शन करने के पेटे मुझे ना तो विभाग द्वारा जारी कोई डिमाण्ड नोटिस दिया और ना ही ठेकेदार द्वारा बनाई गई एस्टीमेट की रसीद दी। आज मैंने जो मेरे मकान में पानी के कनेक्शन के पेटे रिश्वत राशि जो 30,000 रूपये सुरेश जी को दिये और एईएन साहब से मोबाईल पर वार्ता कर बताने पर एईएन साहब ने सहमति जाहिर की। इस पर पुनः श्री सुरेश कुमार शर्मा से पूछा गया तो सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि विक्रम जी वकील साहब के मकान में पानी का कनेक्शन करने की ऐवज में पैसे की बात करने व पैसे लेने एईएन साहब श्री बृजकिशोर डेनवाल ने भेजा था। मैं तो एईएन साहब के कहने पर वकील साहब के पास पैसे लेने गया था। मैने जो 20,000 रूपये पहले वकील साहब से लिये थे वो 20,000 रूपये एईएन साहब को दे दिये थे और आज जो 30,000 रूपये लिये थे वो भी मैं एईएन साहब को ही देता। इसके पश्चात् परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेपबॉक्स से दो साफ नये प्लास्टिक के गिलासो मे पुलिस थाने से बोतल में स्वच्छ पानी मगवाकर उनमे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण के एक गिलास मे आरोपी सुरेश कुमार शर्मा के दांहिने हाथ की अगुंलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को

दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी प्रकार दूसरे मिश्रण के गिलास में आरोपी सुरेश कुमार शर्मा के बांये हाथ की अगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला सा हो गया जिसे भी सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला सा होना बताया। उक्त धोवन को दो साफ कांच की षीषियों मे आधा-आधा डालकर सील्ड मोहर कर मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सुरेश कुमार शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री विष्णु कुमार से लिवाई गई तो पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दांहिनी जेब से एक नोटों का बण्डल मिला। जिसे दोनो गवाहान से कार्यालय बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान कर वो ही भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये होना बताये। उक्त बरामद शुदा 30,000/-रिश्वती नोटो को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक साफ प्लास्टिक का गिलास निकलवाकर कर उसमें साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब का धोवन लेने हेतु आरोपी को एक पहनने के लिए एक लोवर मंगवाकर आरोपी सुरेश कुमार शर्मा की पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर लोवर पहनावाया गया तथा आरोपी सुरेश कुमार शर्मा की पेन्ट की पीछे की दांहिनी जेब जिससे रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटावकर उक्त तैयार शुदा घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा डालकर सील मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् पेन्ट की जेब को सुखावकर जेब पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी सुरेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर कपडे की थैली पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान, आरोपी सुरेश कुमार शर्मा के हस्ताक्षर करवाकर मार्क-पी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। कार्यवाही के दौरान श्री मूल चन्द मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर-चतुर्थ, जयपुर श्री बृजकिशोर डेनवाल सहायक अभियन्ता, उप खण्ड-8, सिविल लाईन्स जयपुर को डिटेन कर लेकर आये है तथा श्री डेनवाल का लेपटॉप, एक लाल रंग की डायरी जिस पर 2024 लिखा हुआ है व दो मोबाईल फोन जिनमें एक मोबाईल आईफोन एप्पल कम्पनी मॉडल 8, जिसमें सिम नं. जीओ कम्पनी तथा दूसरा मोबाईल सेमसंग कीपेड बरंग काला सिम नं. सीयूजी विभागीय सिम है जो लाकर पेश किये जिन्हे कब्जा एसीबी लिया जावेगा। श्री बृजकिशोर डेनवाल को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपना नाम बृजकिशोर डेनवाल पुत्र श्री कालूराम उम्र 40 साल जाति बलाई निवासी मकान नं. 74 शिव कॉलौनी सोडाला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, उप खण्ड-8, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन जयपुर होना बताया। श्री बृजकिशोर डेनवाल से पूछने पर बताया कि श्री विक्रम बेनीवाल की जल संबंध हेतु पत्रावली मुख्य अभियन्ता कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जेकब रोड जयपुर से मेरे कार्यालय को प्राप्त हुई। इसके पश्चात् पत्रावली की जांच कर आवश्यक दस्तावेज की कमी की पूर्ति हेतु पुनः मुख्य अभियन्ता कार्यालय को जल सम्मन आवेदन हेतु पत्रावली पूर्ण कर ऑन लाईन आवेदन करने हेतु लिखा गया। इसके पश्चात् श्री विक्रम बेनीवाल के द्वारा उसके मकान की रजिस्ट्री के अलावा समस्त दस्तावेज प्रेषित नही करने के फलस्वरूप पुनः मेरे निर्देशानुसार वरिष्ठ सहायक श्री सुरेश कुमार शर्मा के द्वारा श्री विक्रम बेनीवाल से मोबाईल फोन पर वार्ता कर अवगत कराया कि जल संबंध आवेदन हेतु दस्तावेज मय मकान की रजिस्ट्री जो की पूर्व दस्तावेज में नही थी के साथ आवेदन करे। इसी के साथ श्री विक्रम बेनीवाल ने जल संबंध आवेदन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में परिवाद सं. 2317/2024 दर्ज करवाया। उक्त परिवाद के तहत समस्त दस्तावेज जो श्री विक्रम बेनीवाल के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश फरमाया कि परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल से एक शपथ पत्र (किरायानामा) लेकर नियमानुसार केवल जल संबंध की कार्यवाही करें। जिस पर मेरे द्वारा विक्रम बेनीवाल की फाईल पर ऑन लाईन कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तावित कर दिया गया। मेरी विक्रम बेनीवाल से आज दिनांक तक उसके जल संबंध के बारे में पैसो के लेन-देन सबंधी कोई वार्ता नही हुई और नाही मैंने सुरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक को श्री बेनीवाल से पैसे लेने हेतु कहा। इस पर मौजूद श्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि एईएन साहब झूठ बोल रहे है मैं एईएन साहब के कहने पर ही विक्रम बेनीवाल वकील साहब के पास करीब 4-5 दिन पहले गया था और श्री विक्रम बेनीवाल से 20,000 रूपये लेकर आया था वो पैसे मैने एईएन साहब को ले जाकर दे दिये थे तथा आज विक्रम बेनीवाल से जो 30,000 रूपये रिश्वत राशि के लिये है वो भी मैं एईएन साहब को ले जाकर देता परन्तु आप लोगो ने मुझे पकड लिया। विक्रम बेनीवाल ने मुझे 30,000 रूपये रिश्वत राशि देते वक्त एईएन साहब से भी बात की थी। इस पर मौजूद परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल ने भी सुरेश कुमार शर्मा को पैसे देने के संबंध में एईएन बृजकिशोर डेनवाल से बात करने की ताईद की। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सुरेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं श्री बृजकिशोर डेनवाल, सहायक अभियन्ता, उप खण्ड-8, जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, सिविल

लाईन जयपुर के विरूद्ध अपराध धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में धोवन की षीषियों, रिश्वती राशि आदि को सील मोहर करने में एसीबी जयपुर की पीतल की सील का प्रयोग किया गया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् आरोपी सुरेश कुमार शर्मा एवं आरोपी बृजकिशोर डेनवाल द्वारा अपनी-अपनी आवाजो का नमूना मनाही किये जाने की अलग-अलग फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी सुरेश कुमार शर्मा एवं आरोपी बृजकिशोर डेनवाल को जुर्म से आगाह कर जरिये पृथक-पृथक फर्दात नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही पर काम में ली गई ब्रास सील की फर्द तैयार की जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् दिनांक 20.6.2024 को गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में विभागीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता को को पुनः चला कर सुना गया तो परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल, आरोपी सुरेश कुमार शर्मा के मध्य वक्त लेन-देन के दौरान वार्ता होना तथा वार्ता के दौरान आरोपी बृजकिशोर डेनवाल से मोबाईल पर वार्ता होना पाई गई। जिसकी कम्प्यूटर की सहायता से नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सीडी तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एवं अब तक उजागर हुए तथ्यो से आरोपी श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा स्वयं तथा सहायक अभियन्ता आरोपी श्री बृजकिशोर डेनवाल के लिए परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल से उसके मकान में पानी का कनेक्शन करवाने की ऐवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 18.6.2024 को 40,000/-रूपये की रिश्वत की मांग करना व कम करने का निवेदन करने पर 30,000 रूपये तय होना तथा मांग के अनुसरण में आरोपी सुरेश कुमार शर्मा द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 19.6.2024 को स्वयं के लिए व उसके अधिकारी श्री बृज किशोर डेनवाल सहायक अभियन्ता के लिए परिवादी श्री विक्रम बेनीवाल से बतौर रिश्वत 30,000/-रूपये प्राप्त करना पूर्णतया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री सुरेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक एवं आरोपी श्री बृज किशोर डेनवाल सहायक अभियन्ता को गिरफ्तार किया गया है। आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में कारित किया जाना पाया गया है। अतः श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0श्री नानगराम शर्मा उम्र 43 साल जाति ब्राह्मम्ण निवासी मकान नं. 28बी, राय कॉलौनी, हसनपुरा-सी, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता, नगर उपखण्ड-8, सिविल लाईन, दक्षिण जयपुर एवं श्री बृजकिशोर डेनवाल पुत्र श्री कालूराम उम्र 40 साल जाति बलाई निवासी मकान नं. 74 शिव कॉलौनी सोडाला जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, उप खण्ड-8, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिविल लाईन दक्षिण, जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (भूपेन्द्र) अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भूपेन्द्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1.श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 नानगराम शर्मा निवासी जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता नगर उपखण्ड- 8,सिविल लाईन, दक्षिण जयपुर 2. श्री बृजकिशोर डेनवाल पुत्र कालूराम निवासी जयपुर हाल सहायक अभियंता उपखण्ड 8, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सिविल लाईन दक्षिण जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0द्वितीय जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 313 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज.,जयपुर क्रमांक 606-10 दिनांक 20.06.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या -1 जयपुर। 2 शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर। 3 मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम पुलिस अधीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** Subhash Meel **Rank** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): **(पद):**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/06/2024 19:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				
2	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)